

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 72/1e

तारीख दायर 8-4-1e

रतनलाल पिता दीपचन्द जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुनील पिता पन्नलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सुगनलाल पिता गोपाल जाति नायक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. घीसीलाल पिता रोड़ा जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 28-5-1e

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 572 पर अंकित आराजी संख्या 583 रकबा 0-18 बीघा एवं ईसी ग्राम में खाता संख्या 571 पर अंकित आराजी संख्या 584/2 रकबा 0-08 बीघा है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फरिश्त की 500/5 का पत्थरगढी 31/05/1e

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 572 पर अंकित आराजी संख्या 583 रकबा 0-18 बीघा एवं ईसी ग्राम में खाता संख्या 571 पर अंकित आराजी संख्या 584/2 रकबा 0-08 बीघा बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ